



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

**मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को हुई को सश्रम
कारावास व अर्थदंड की सजा**

दिनांक:-21.01.2023

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर थाना सिधौली से सम्बन्धित मु0अ0सं0 243/15 धारा 376/452 भा.द.वि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम हरिश्चन्द्र उर्फ हरिसन पुत्र भीखा निवासी बबुआपुर थाना रामपुर कलां में सिधौली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 21.01.2023 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-14 द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त हरिश्चन्द्र को **20 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/- रूपए अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी।

